COMPENSATION AWARDED TO VICTIM

Railways to pay damages for rape on train, says HC

UDAYAN KISHORE @ New Delhi

THE Delhi High Court has upheld the direction of the National Human Rights Commission (NHRC) to the Indian Railways to pay ₹3 lakh compensation to a woman who was gang-raped inside a train in 2012, holding that the undertaking is duty-bound to ensure passengers' safety and remains liable even when the crime is committed by private individuals.

Justice Amit Bansal dismissed the Ministry of Railways' petition challenging the NHRC's recommendation. "The fact of the matter is that the victim was a bona fide passenger who had purchased a ticket for the journey and was travelling in the train when the said incident occurred. The Railways were obliged to provide a safe environment onboard the compartment of the train," the court said in its July 29 order.

> **The victim was a bona fide passenger ... The Railways were obliged to provide a safe environment onboard the compartment of the train**
>
> Delhi High Court

The judge held gang rape, being a "violent attack", falls under the definition of an "untoward incident" under Section 123(c) of Railways Act.

"Since the unfortunate incident occurred inside a compartment of a train, the same would be covered under the definition of an 'untoward incident' as provided in Section 123(c) of the Railways Act, and the Railways would be liable to pay compensation," the order said.

The court said this responsibility would not be affected merely because the offence was committed by private individuals and not railway employees.

Justice Bansal also held that while the NHRC's directions are recommendatory in nature, they cannot be treated as mere opinions. The commission had "correctly exercised its jurisdiction in recommending immediate monetary relief to a victim of gross human rights violation", the court said. "The writ petition is devoid of merits and is accordingly dismissed," the judge said.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan Times, Delhi, 05/08/2026

Page No: 18, Size: 6.27cm × 7.28cm

NHRC PROBES FIVE MALARIA DEATHS IN CHHATTISGARH

The National Human Rights Commission (NHRC), India took suo motu cognisance of a media report that with the death of an 11-year-old boy on July 28, 2026, five people died in a span of 13 days due to Malaria in Kanker district, Chhattisgarh. The commission has observed that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of human rights.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DJ Rashtriya Sanskaran, Delhi, 05/08/2026

Page No: 10, Size: 5.19cm × 12.33cm

'ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता रेलवे'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन पर एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सिफारिश को सही ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रेलवे यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि अपराध करने वाले रेलवे कर्मचारी के बजाय अन्य लोग थे। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने एनएचआरसी के निर्णय को चुनौती देने वाली रेल मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि पीड़िता एक वैध टिकट के साथ यात्रा कर रही थी और ट्रेन के डिब्बे के अंदर सुरक्षित माहौल देना रेलवे की जिम्मेदारी थी। कोर्ट ने कहा कि रेलवे अधिनियम की धारा 123(सी) में रेलवे परिसर में होने वाले हिंसक हमलों को स्पष्ट रूप से अनचाही घटना की परिभाषा में शामिल किया गया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran (Jagran City), Delhi, 05/08/2026

Page No: 4, Size: 4.63cm × 10.61cm

'ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिम्मेदारी से बच नहीं सकता रेलवे'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन पर एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश को सही ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि रेलवे यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि अपराध करने वाले रेलवे कर्मचारी के बजाय अन्य लोग थे। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने एनएचआरसी के निर्णय को चुनौती देने वाली रेल मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि पीड़िता वैध टिकट से यात्रा कर रही थी। ट्रेन में सुरक्षित माहौल देना रेलवे की जिम्मेदारी थी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Ranchi, 05/08/2026

Page No: 4, Size: 6.93cm × 6.16cm

न्यायिक जांच खत्म करने वाले सर्कुलर पर 20 अगस्त को सुनवाई

रांची | हाईकोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की याचिका पर सुनवाई हुई। एनएचआरसी के सर्कुलर, जिसके तहत हिरासत में मौत, गुमशुदगी और दुष्कर्म के मामलों में अनिवार्य न्यायिक जांच की व्यवस्था समाप्त करने को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत के समक्ष याचिका पर शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया,जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 20 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। मालूम हो कि यह जनहित याचिका धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मुमताज अंसारी ने दाखिल की है।

Dainik Jagran, Patna, 05/08/2026
Page No: 8, Size: 20.29cm × 25.32cm

ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जिम्मेदारी से बच नहीं सकता रेलवे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: लखीसराय रेलवे स्टेशन पर महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सिफारिश को सही ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है।

अदालत ने कहा कि रेलवे यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि अपराध करने वाले रेलवे कर्मचारी के बजाय अन्य लोग थे। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने एनएचआरसी के निर्णय को चुनौती देने वाली रेल मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि पीड़िता एक वैध टिकट के साथ यात्रा कर रही थी और ट्रेन के डिब्बे के अंदर सुरक्षित माहौल देना रेलवे की जिम्मेदारी थी। अदालत ने कहा कि रेलवे अधिनियम की धारा 123(सी) में रेलवे प्लेटफार्म या रेलवे परिसर के अन्य इलाकों में होने वाले हिंसक हमलों को स्पष्ट रूप से अनचाही घटना की परिभाषा में शामिल किया गया है।

याचिका के अनुसार, महिला के साथ अगस्त 2012 में लखीसराय रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इन तथ्यों को देखते हुए पीठ ने रेलवे को ब्याज के साथ मुआवजा की रकम दो सप्ताह के अंदर पीड़िता को देने का आदेश दिया। रेलवे ने तर्क दिया था कि घटना तब हुई थी जब ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी और स्टेशन पर कानून-व्यवस्था राज्य सरकार के तहत आने वाली जीआरपी की जिम्मेदारी थी।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan, Patna, 05/08/2026

Page No: 01, Size: 24.02cm × 7.91cm

लखीसराय में ट्रेन में हुआ था किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म : हाइकोर्ट का फैसला

यात्री सुरक्षा से पल्ला नहीं झाड़ सकता रेलवे, पीड़िता को दे ₹3 लाख मुआवजा

नयी दिल्ली . दिल्ली हाइकोर्ट ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि रेलवे वैध टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता. न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने केंद्रीय रेल मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के मुआवजा देने के आदेश को चुनौती दी गयी थी. अदालत ने आदेश दिया कि साल 2012 में बिहार के लखीसराय में एक पैसेंजर ट्रेन के भीतर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा और उस पर बना ब्याज तुरंत सौंपा जाए.

दो सप्ताह में देना होगा मुआवजा

27 अगस्त 2012 को बिहार के एक स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में यह जघन्य वारदात हुई थी. पीड़िता के पिता ने मार्च 2013 में एनएसआरसी में शिकायत की, जिसके बाद आयोग ने अप्रैल 2014 और 2016 में मुआवजा देने की सिफारिश की. रेलवे इसके खिलाफ 2016 में हाइकोर्ट चला गया, जहां कोर्ट ने तीन लाख रुपये जमा कराकर अंतरिम रोक लगा दी थी. अब लगभग 14 साल लंबे कानूनी सफर के बाद हाइकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि जमा राशि अर्जित ब्याज के साथ दो सप्ताह में पीड़िता को सौंप दी जाए.

रेलवे ने हाईकोर्ट में दी थी यह दलील : रेल मंत्रालय ने याचिका में तर्क दिया था कि यह अपराध निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया था, न कि किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा. रेलवे का कहना था कि चूंकि ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, इसलिए कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की जीआरपी की थी. इसके अलावा रेलवे ने दावा किया कि गैंगरेप की घटना रेलवे अधिनियम की धारा 123 के तहत 'अप्रिय घटना' नहीं है और मुआवजा तय करने का क्षेत्राधिकार केवल रेलवे दावा अधिकरण के पास है, मानवाधिकार आयोग के पास नहीं.

हाईकोर्ट ने खारिज कीं रेलवे की दलीलें : न्यायमूर्ति बंसल ने रेलवे के तर्कों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 123(सी) के तहत ट्रेन या प्लेटफॉर्म परिसर में होने वाला कोई भी हिंसक हमला 'अप्रिय घटना' में आता है. धारा 124ए रेलवे के लिए 'नो-फॉल्ट लायबिलिटी' (बिना किसी गलती के भी जवाबदेही) तय करती है. यानी यात्री के वैध टिकट पर सफर करने के दौरान यदि कोई अनहोनी होती है, तो रेलवे को मुआवजा देना ही होगा- चाहे इसमें रेलवे की अपनी कोई लापरवाही रही हो या न रही हो.

अगस्त 2012 में किऊल-झाझा रेलखंड पर लाखोचक-बंशीपुर के पास हुई थी घटना : 27 अगस्त सोमवार की रात 2012 को एक किशोरी ट्रेन से यात्रा कर रही थी. ट्रेन के खुलते ही एक युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर ट्रेन के ही सुनसान साइड में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. अगले स्टेशन बंशीपुर पर ट्रेन रुकते ही युवक ने अपने पांच-छह साथियों को बुलाकर ट्रेन में चढ़ा लिया. फिर सभी ने किशोरी के साथ चलती ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद चलती ट्रेन से नाबालिग लड़की को किउल स्टेशन के आसपास फेंक दिया गया.

Source:
https://www.newindianexpress.com/states/delhi/2026/Aug/05/delhi-high-court-holds-railways-liable-to-compensate-survivor-in-2012-train-gang-rape

Delhi High Court holds Railways liable to compensate survivor in 2012 train gang rape

The court ruled the assault was an "untoward incident" under the Railways Act and upheld the NHRC's recommendation for monetary relief to the survivor.

Udayan Kishor Updated on: 05 Aug 2026, 8:23 am

NEW DELHI: The Delhi High Court has upheld the direction of the National Human Rights Commission (NHRC) to the Indian Railways to pay `3 lakh compensation to a woman who was gang-raped inside a train in 2012, holding that the undertaking is duty-bound to ensure passengers' safety and remains liable even when the crime is committed by private individuals.

Justice Amit Bansal dismissed the Ministry of Railways' petition challenging the NHRC's recommendation. “The fact of the matter is that the victim was a bona fide passenger who had purchased a ticket for the journey and was travelling in the train when the said incident occurred. The Railways were obliged to provide a safe environment onboard the compartment of the train,” the court said in its July 29 order.

The judge held gang rape, being a “violent attack”, falls under the definition of an “untoward incident” under Section 123(c) of Railways Act.

“Since the unfortunate incident occurred inside a compartment of a train, the same would be covered under the definition of an ‘untoward incident’ as provided in Section 123(c) of the Railways Act, and the Railways would be liable to pay compensation,” the order said.

The court said this responsibility would not be affected merely because the offence was committed by private individuals and not railway employees.

Justice Bansal also held that while the NHRC's directions are recommendatory in nature, they cannot be treated as mere opinions. The commission had “correctly exercised its jurisdiction in recommending immediate monetary relief to a victim of gross human rights violation”, the court said. “The writ petition is devoid of merits and is accordingly dismissed,” the judge said.

Asianet Newsable, Online News, 05/08/2026

Source: https://newsable.asianetnews.com/india/meta-faces-ncpcr-inquiry-over-alleged-child-abuse-material-ads-articleshow-v1gsx76

Meta faces NCPCR inquiry over alleged child abuse material ads
2 Min read
Author : Asianet News Central| ANI
Published : Aug 04 2026, 10:00 PM IST
The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) will institute an inquiry against Meta over alleged ads related to Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM), following a BBC report. The NHRC has also ordered a probe.
NCPCR to institute inquiry against Meta
The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), which sent a notice to Meta last month taking suo moto cognizance of a media report of BBC Eye, regarding alleged advertisements related to Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM), has decided to institute an inquiry in the matter, government sources said on Tuesday.
They said that NCPCR sought an explanation from Meta and in response, Meta submitted its reply after a week. NCPCR had issued notice to Meta Platforms Inc. on July 3. "NCPCR has decided to institute an inquiry to determine the facts of the matter," a source said.
NHRC directs Delhi Police to probe
The National Human Rights Commission (NHRC) had earlier directed the Delhi Police to conduct a comprehensive probe into allegations that paid advertisements on Meta-owned Instagram promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in India, and to examine whether the tech company and other concerned entities complied with mandatory reporting obligations under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.
The NHRC took cognisance of media reports published by the BBC World Service alleging that advertisements on Instagram used particular expressions and redirected users to channels where such material was allegedly being offered for sale. The Commission, in a letter on July 8, directed the Commissioner of Police, Delhi, to submit a comprehensive Action Taken Report (ATR) on the matter. The proceedings were initiated after a complaint/intimation dated July 6 was placed before the Commission. NHRC had written another letter to Delhi Police on July 29 for the subimission of requisite report. (ANI)
(Except for the headline, this story has not been edited by Asianetnews Editorial staff and is published from a syndicated feed.)

Source: https://dailypioneer.com/news/slug-lite/delhi-hc-upholds-rs-3-lakh-compensation-to-train-gang-rape-survivor?year=2026

Delhi HC upholds Rs 3 lakh compensation to train gang rape survivor

By Pioneer News Service | August 04, 2026

The Delhi High Court has upheld the National Human Rights Commission's (NHRC) direction to the Railways to pay Rs 3 lakh compensation to a passenger who was gang-raped inside a train in 2012.

Justice Amit Bansal dismissed a petition by the Ministry of Railways challenging the NHRC's decision, holding that the Railways was under an obligation to provide the survivor a "safe environment."

The court said gang rape, being in the nature of a "violent attack," amounted to an "untoward incident" under the law, making the Railways liable to pay compensation.

Holding that the NHRC's direction on payment of compensation was not perverse or manifestly illegal, Justice Bansal said the commission "correctly exercised its jurisdiction in recommending immediate monetary relief to a victim of gross human rights violation."

"The fact of the matter is that the victim was a bona fide passenger who had purchased a ticket for the journey and was travelling in the train when the said incident occurred.

The Railways were obliged to provide a safe environment onboard the compartment of the train," the court observed in the order passed on July 29.

"Since the unfortunate incident occurred inside a compartment of a train, the same would be covered under the definition of an 'untoward incident' as provided in Section 123(c) of the Railways Act and the Railways would be liable to pay compensation in terms of Section 124A of the Railways Act," it said, adding, "The writ petition is devoid of merits and is accordingly dismissed."

The court directed the registry to release the compensation amount, which had been deposited by the Railways during the pendency of the case, to the survivor, along with accrued interest.

According to case details, the survivor was gang-raped inside a bogie of a passenger train at platform number 5 in Lakhisarai, Bihar, in August 2012. Following a complaint by her father, the NHRC in April 2014 held that the chairman of the Railway Board was liable to pay Rs 3,00,000 to the survivor.

The NHRC subsequently rejected a representation by the Railways, which had argued that compensation could only be decided by the Railway Claims Tribunal, and directed payment of the compensation.

In its order, the court noted that under Section 124A of the Railways Act, the Railways is liable to pay compensation for an "untoward incident" even if it was not on account of any wrongful act, neglect or default by the Railways.

It ruled that even if the gang rape was committed by private individuals who were not railway employees, this would not affect the Railways' liability to pay compensation.

The court further underscored that although the NHRC's directions are "recommendatory" in nature, they cannot be treated as mere opinions.

It said that being the outcome of a statutory inquiry conducted by an expert statutory body entrusted with the protection of human rights, the NHRC's recommendations carry persuasive value.

(Inputs from PTI)

Source: https://udaipurkiran.com/nhrc-takes-action-against-child-pornography-on-social-media/

NHRC Takes Action Against Child Pornography on Social Media
5 Aug 2026 3:59 AM by Bhupendra Singh Chundawat
NHRC Takes Action Against Child Pornography on Social Media
New Delhi, August 5: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the Ministry of Electronics and Information Technology, police chiefs of several states, and Meta India in response to allegations regarding the availability of obscene and objectionable content related to children on social media platforms. The commission has requested an action taken report (ATR) from all parties within a week.

This action follows a complaint from a non-profit organization, which claimed that certain links available on Meta's platforms, Instagram and Facebook, contain obscene material unsuitable for children and may allegedly include Child Sexual Abuse Material (CSAM).

NHRC member Priyank Kanungo stated that if the allegations are found to be true, it would constitute a serious violation of children's human rights and could be punishable under various laws, including the POCSO Act and the Information Technology Act.

The commission has specifically requested reports from the Director Generals of Police (DGPs) of West Bengal, Odisha, Haryana, New Delhi, Chandigarh, and Bihar, instructing them to investigate the URLs and digital evidence attached to the complaint through their Cyber Crime Units and Special Juvenile Police Units.

If the investigation indicates a cognizable offense, an FIR should be registered, and legal action should be taken against those responsible for creating, uploading, publishing, or disseminating the alleged content. Furthermore, if any child is identified as a victim, immediate rescue, medical assistance, psychological counseling, rehabilitation, and other legal support must be provided.

The NHRC has also inquired about the steps taken by the Ministry of Electronics and Information Technology to remove, block, or restrict access to the alleged objectionable URLs, as well as measures to prevent such content from being re-uploaded and long-term strategies to enhance online child safety.

Meta India has been instructed to provide information regarding actions taken to remove or restrict access to the alleged content, and to preserve relevant accounts, metadata, IP logs, digital records, and other evidence. The commission has also asked Meta what actions have been taken to notify local police or Special Juvenile Police Units if CSAM is found in the content.

All relevant parties have been directed to submit their action reports to the NHRC within a week.

The News Mill, Online News, 05/08/2026

Source: https://thenewsmill.com/2026/08/child-protection-panel-to-investigate-meta-over-alleged-sexual-content-adverts/

Child protection panel to investigate Meta over alleged sexual content adverts
TNM (With ANI Inputs) |Published On: Aug 4, 2026

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has decided to initiate an inquiry into allegations concerning advertisements related to Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) linked to Meta, government sources said on August 4.

The move follows a suo moto cognisance taken by the commission in response to a BBC Eye media report last month. The NCPCR had issued a notice to Meta Platforms Inc. on July 3 and received a reply from the company after one week.

“NCPCR has decided to institute an inquiry to determine the facts of the matter,” a source stated.

Earlier, the National Human Rights Commission (NHRC) instructed the Delhi Police to carry out a comprehensive investigation into claims that paid advertisements on Meta-owned Instagram promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in India. The NHRC also directed the police to review whether Meta and other relevant entities fulfilled mandatory reporting requirements under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The NHRC acted after noting media reports by BBC World Service which alleged that adverts on Instagram used specific expressions that redirected users to channels where such material was purportedly available for sale.
On July 8, the Commission directed the Commissioner of Police, Delhi, to submit a detailed Action Taken Report (ATR) concerning the issue. These proceedings began following a complaint dated July 6.

Subsequently, the NHRC sent another letter to Delhi Police on July 29 requesting the submission of the necessary report.

Source: https://m.economictimes.com/tech/technology/after-meta-reply-to-its-notice-child-protection-panel-to-probe-alleged-violation-of-rules-concerning-sexual-content/amp_articleshow/132867813.cms

After Meta reply to its notice, Child protection panel to probe alleged violation of rules concerning sexual content

Synopsis

Amid growing concerns highlighted in a BBC Eye report, the NCPCR will begin an inquiry into the contested CSEAM ads. Meta responded to the associated allegations last week. Furthermore, the NHRC has ordered the Delhi Police to investigate similar advertisements on Instagram. These inquiries aim to uphold child protection laws across digital platforms.

By ANI

Aug 04, 2026, 10:33:00 PM IST

The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), which sent a notice to Meta last month taking suo moto cognizance of a media report of BBC Eye, regarding alleged advertisements related to Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM), has decided to institute an inquiry in the matter, government sources said on Tuesday.

They said that NCPCR sought an explanation from Meta and in response, Meta submitted its reply after a week. NCPCR had issued notice to Meta Platforms Inc. on July 3.

"NCPCR has decided to institute an inquiry to determine the facts of the matter," a source said.

The National Human Rights Commission (NHRC) had earlier directed the Delhi Police to conduct a comprehensive probe into allegations that paid advertisements on Meta-owned Instagram promoted Child Sexual Abuse Material (CSAM) in India, and to examine whether the tech company and other concerned entities complied with mandatory reporting obligations under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The NHRC took cognisance of media reports published by the BBC World Service alleging that advertisements on Instagram used particular expressions and redirected users to channels where such material was allegedly being offered for sale.

The Commission, in a letter on July 8, directed the Commissioner of Police, Delhi, to submit a comprehensive Action Taken Report (ATR) on the matter. The proceedings were initiated after a complaint/intimation dated July 6 was placed before the Commission.

NHRC had written another letter to Delhi Police on July 29 for the subimission of requisite report.

Source: https://lawtrend.in/delhi-high-court-orders-railways-to-pay-relief-to-2012-gang-rape-survivor/

Court Updates

Delhi High Court Orders Railways to Pay Relief to 2012 Gang-Rape Survivor
By Law Trend August 4, 2026 4:12 PM

The Delhi High Court has dismissed a petition by the Union Ministry of Railways and ordered the immediate release of Rs 3 lakh in compensation, along with accumulated interest, to a survivor of a 2012 gang rape aboard a train in Bihar.

Justice Amit Bansal ruled on July 29 that the railway administration maintains strict liability for the safety of valid ticket holders on its premises, asserting that the involvement of private criminals does not absolve the authority of its statutory compensation duties. The decision vacates a May 2016 interim stay and requires the court registry to disburse the funds-originally deposited by the Railways-to
the survivor within two weeks.

Court Rejects Railway Defense Arguments
In challenging recommendations issued by the National Human Rights Commission (NHRC), the Railways argued that the crime was committed by private individuals who were subsequently convicted, rather than rail staff. The ministry further contended that because the train was stationary at a station, law enforcement fell under the jurisdiction of the state government's Railway Police, and that the incident did not constitute an untoward event under the Railways Act.
Rejecting those arguments, Justice Bansal clarified that Section 123(c) of the Railways Act defines violent attacks occurring on trains, platforms, or station property as untoward incidents. The court noted that whether the train was moving or stationary was irrelevant under the statute, which explicitly includes platform areas.

The ruling emphasized that Section 124A establishes a no-fault liability standard, making the Railways responsible for compensating valid passengers harmed in violent incidents regardless of whether the administration was guilty of neglect or default. The victim was confirmed to be a ticketed passenger travelling inside the train compartment at the time of the assault.

NHRC Authority Confirmed

The court also dismissed the ministry's argument that the NHRC exceeded its jurisdiction and that claims could only be handled by the Railway Claims Tribunal.
Justice Bansal affirmed that the human rights body acted appropriately in recommending swift financial relief for a major rights violation. Citing prior legal precedent, the judge remarked that human rights commissions are empowered as active guardians of life and dignity, noting that while public authorities may challenge such recommendations in court, they cannot disregard them.

Decade-Long Legal Battle
The assault occurred on August 27, 2012, inside a passenger train parked at a station in Bihar. The survivor's

father lodged a complaint with the NHRC on March 9, 2013, prompting the commission to recommend Rs 3 lakh in compensation on April 30, 2014.

After reiterating its directive in July 2014 and January 2015, the commission rejected a formal challenge from the ministry on April 19, 2016. The Railways then appealed to the Delhi High Court. In May 2016, the High Court admitted the writ petition and stayed the NHRC directive on the condition that the ministry deposit Rs 3 lakh with the court's registrar general. With the petition now turned down, that deposit and its interest will be transferred to the victim.

Source: https://indianexpress.com/article/legal-news/delhi-high-court-rs-3-lakh-train-gang-rape-survivor-railways-10816892/

Delhi High Court orders Rs 3 lakh for train gangrape survivor, holds Railways liable
The Delhi High Court was hearing the union ministry of railways' challenge to the NHRC's orders directing it to pay Rs 3 lakh compensation to the 2012 train gang rape survivor.
Written by: Vineet Upadhyay
5 min readNew DelhiUpdated: Aug 4, 2026 11:12 AM IST
Observing that the Railways cannot avoid responsibility for the safety of bona fide passengers, even if private individuals committed the crime, the Delhi High Court has ordered Rs 3 lakh compensation to a survivor who was gang-raped inside a train in Bihar in 2012.
Justice Amit Bansal was hearing a writ petition filed by the union ministry of railways challenging the National Human Rights Commission's (NHRC) orders directing payment of compensation. The NHRC on April 30, 2014, and April 19, 2016, had recommended immediate monetary relief to the survivor of the August 27, 2012 gang rape inside a passenger train stationed at a railway station in Bihar.
"The Railways were obliged to provide a safe environment onboard the compartment of the train…Even if the gang rape was committed by private individuals who were not railway employees, it would not affect the liability of the Railways to pay compensation," the court said on July 29.
The case stemmed from a complaint filed by the victim's father before the NHRC on March 9, 2013, after his daughter was gang-raped inside a train. The NHRC subsequently directed the Chairman, Railway Board to pay Rs 3 lakh as compensation. The Railways challenged that recommendation.
Railways approached high court
The NHRC had, on April 30, 2014, recommended payment of Rs 3 lakh to the survivor and reiterated the direction through subsequent communications in July 2014 and January 2015.
The union ministry of railways later filed a representation contending that compensation under the Railways Act could only be determined by the Railway Claims Tribunal and that the NHRC lacked jurisdiction to direct such payment. After the commission rejected that objection on April 19, 2016, the Railways approached the Delhi High Court.
Before the high court, the Railways argued that the offence had been committed by private individuals in the train, who were later convicted, and not by any railway employee. It also argued that because the train was standing at the railways station, responsibility for law and order rested with the Government Railway Police under the state government.
The Railways further contended that the incident did not qualify as an "untoward incident" under Section 123 of the Railways Act and therefore compensation under Section 124A was not payable. "There is no doubt that the incident of gang rape would be covered in the definition of 'untoward incident' as it is in the nature of a violent attack," said the court.
Rejecting these arguments, Justice Bansal held that Section 123(c) of the Railways Act expressly covers violent attacks occurring not only inside trains but also on railway platforms and other places within railway premises.
The court observed that the Railways' contention that the train was stationary had "no legs to stand on" because the law specifically includes incidents occurring on railway platforms.
Railways liable
The high court emphasised that Section 124A creates a no-fault liability for the Railways. It noted that the provision makes the Railways liable to compensate passengers injured in an untoward incident regardless of whether there was any wrongful act, neglect or default on the part of the railway administration.

The court found that the survivor was a bona fide passenger in the train travelling with a valid ticket and that the assault occurred inside the railway compartment.

“Section 124A makes it clear that the Railways would be liable to pay compensation towards an untoward incident, even if it is not on account of any wrongful act, neglect or default by the Railways,” Justice Bansal said, adding that the involvement of private individuals did not absolve the Railways of their statutory obligation to compensate the victim.

The high court also rejected the Railways’ argument that the NHRC lacked jurisdiction. “NHRC has correctly exercised its jurisdiction in recommending immediate monetary relief to a victim of gross human rights violation,” the court said.

Quoting from the earlier judgment, Justice Bansal reiterated that human rights commissions are not meant to be “toothless tigers” but “fierce defenders” of the right to life and dignity. Governments may challenge their recommendations before a court, but cannot simply disregard them.

Compensation to be released within two weeks

When the writ petition was admitted in May 2016, the Delhi High Court had directed the Railways to deposit Rs 3 lakh with the registrar general of the court while staying the operation of the NHRC’s orders. With the petition now dismissed, the interim stay has been vacated.

The high court directed its registry to release the deposited amount, along with the accrued interest, to the survivor within two weeks. Holding that the NHRC had correctly exercised its jurisdiction in recommending immediate monetary relief for a gross human rights violation, the court concluded that there was no ground to interfere with its orders.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/child-protection-panel-launches-inquiry-into-meta-over-alleged-child-sexual-abuse-material-ads/articleshow/132867080.cms

Child protection panel launches inquiry into Meta over alleged child sexual abuse material ads
TIMESOFINDIA.COM | Aug 4, 2026, 10.16 PM IST
NEW DELHI: The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has decided to institute an inquiry into allegations that advertisements related to Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM) appeared on Meta-owned platforms, government sources said on Tuesday.
The move comes after the child rights body took suo motu cognisance of a BBC Eye report last month alleging that advertisements on Instagram promoted child sexual abuse material.
NCPCR had issued a notice to Meta Platforms Inc. on July 3 seeking an explanation, to which the company responded a week later.

Initiates formal inquiry

Following an examination of Meta's reply, the Commission has now decided to initiate a formal inquiry "to determine the facts of the matter", sources said.

Separately, the National Human Rights Commission (NHRC) had directed the Delhi Police to conduct a comprehensive probe into the allegations and examine whether Meta and other entities complied with mandatory reporting obligations under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The NHRC took cognisance of the BBC World Service report, which alleged that paid advertisements on Instagram used specific keywords and redirected users to channels where child sexual abuse material was allegedly being offered for sale.

In a letter dated July 8, the Commission asked the Delhi Police Commissioner to submit a detailed Action Taken Report (ATR). It later sent a reminder on July 29, seeking submission of the pending report.

Earlier today, IT Secretary S Krishnan said that the Centre will raise a range of concerns with Meta's global team during its meeting in India on August 5 and 6, including the platform's handling of Child Sexual Exploitative and Abuse Material (CSEAM), the temporary restriction of prominent verified accounts, and the spread of AI-generated content.

Source: https://theprint.in/india/delhi-hc-upholds-rs-3-lakh-compensation-to-train-gang-rape-survivor-holds-railways-liable/3005244/

Delhi HC upholds Rs 3 lakh compensation to train gang rape survivor, holds Railways liable
PTI | 04 August, 2026 06:46 pm IST

New Delhi, Aug 4 (PTI) The Delhi High Court has upheld the National Human Rights Commission (NHRC)'s direction to the Railways to pay Rs 3 lakh compensation to a passenger who was gang-raped inside a train in 2012.

Justice Amit Bansal dismissed a petition by the Ministry of Railways assailing the NHRC's decision and stated that the Railways was under an obligation to provide the survivor a "safe environment".

The court said gang rape, being in the nature of a "violent attack", amounted to an "untoward incident" under the law, making it liable to pay compensation.

Holding that the NHRC's direction on payment of compensation was not perverse or manifestly illegal, Justice Bansal stated that the commission "correctly exercised its jurisdiction in recommending immediate monetary relief to a victim of gross human rights violation".

"The fact of the matter is that the victim was a bona fide passenger who had purchased a ticket for the journey and was travelling in the train when the said incident occurred. The Railways were obliged to provide a safe environment onboard the compartment of the train.

"Since the unfortunate incident occurred inside a compartment of a train, the same would be covered under the definition of an 'untoward incident' as provided in Section 123(c) of the Railways Act and the Railways would be liable to pay compensation in terms of Section 124A of the Railways Act," the court observed in the order passed on July 29.

"The writ petition is devoid of merits and is accordingly dismissed," it held.

The court directed the registry to release the compensation amount, deposited by the Railways during the pendency of the case, to the survivor, along with the accrued interest.

The survivor was gang-raped inside a bogie of a passenger train at platform no. 5 at Lakhisarai, Bihar, in August 2012.

Following a complaint by her father, the NHRC, in April 2014, said that the chairman, Railway Board, was liable to pay Rs 3,00,000 to the survivor.

Subsequently, the NHRC rejected a representation by the Railways, which asserted that compensation could only be decided by the Railway Claims Tribunal, and directed payment of compensation.

In the order, the court stated that as per Section 124A of Railways Act, the Railways was liable to pay compensation towards an "untoward incident", even if it was not on account of any wrongful act, neglect or default by the Railways.

Therefore, even if the gang rape was committed by private individuals who were not railway employees, it would not affect the liability of the Railways to pay compensation, the court ruled.

It further underscored that although the directions made by the NHRC are "recommendatory", they cannot be treated as mere opinions.

The court said that being the outcome of a statutory inquiry conducted by an expert statutory body entrusted with the protection of human rights, NHRC's recommendations command persuasive value. PTI ADS ADS KVK KVK

This report is auto-generated from PTI news service. ThePrint holds no responsibility for its content.

Source: https://www.ap7am.com/en/132913/nhrc-intensifies-scrutiny-of-meta-over-csam-on-instagram-facebook-issues-fresh-notices

NHRC intensifies scrutiny of Meta over CSAM on Instagram, Facebook, issues fresh notices
05-08-2026 Wed 07:09 | National | IANS
NHRC intensifies scrutiny of Meta over CSAM on Instagram, Facebook, issues fresh notices
New Delhi, Aug 5 : The National Human Rights Commission (NHRC) has escalated its intervention against the alleged circulation of Child Sexual Abuse Material (CSAM) on Meta platforms, issuing a fresh notice two days ago while continuing to monitor an earlier probe based on BBC reports.

In the August 3 notice, the Commission took cognisance of a complaint from a non-profit foundation that received an anonymous tip-off about pornographic and age-inappropriate links on Instagram and Facebook that may contain CSAM.

The foundation annexed a list of links solely for investigation and clarified that it had neither accessed, downloaded, viewed nor stored the content, in compliance with the POCSO Act, 2012, and the IT Act, 2000.

The NHRC directed the Secretary of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Director Generals of Police of West Bengal, Chandigarh, Haryana, Odisha, New Delhi and Meta's Head of Law Enforcement (India) to submit detailed Action Taken Reports within one week.

The Police of the above states have been ordered to examine the URLs through its cyber crime unit/special juvenile police unit, register FIRs where cognisable offences are disclosed, identify and prosecute those involved, coordinate with MeitY, Meta, I4C and NCRB, and immediately rescue any identified child victims for production before the Child Welfare Committee.

The MeitY must report on blocking of the URLs, action against the intermediary, and long-term child safety measures.

Meta has been asked to remove the content, preserve Meta data and IP logs, report under Section 19 of the POCSO Act, and detail preventive mechanisms. This follows an earlier notice issued on July 8 after the Commission took cognisance of BBC World Service reports, alleging that paid Instagram advertisements promoted CSAM in India using expressions such as "rape video" and "child video" and redirected users to Telegram channels where the material was allegedly offered for sale.

The reports claimed the advertisements were approved through Meta's review mechanism and remained accessible despite being reported through the platform's grievance system until the BBC specifically brought them to Meta's notice.

In pursuance of the National Human Rights Commission's notice and detailed directions arising from the BBC investigation into paid Instagram advertisements promoting Child Sexual Abuse Material (CSAM), the Delhi Commissioner of Police Anurag Kumar has initiated a priority investigation and is ensuring the registration of an FIR against Meta platforms for offences under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012, and other applicable laws.

The Bench of the National Human Rights Commission, presided over by member Priyank Kanoongo, takes cognisance of the matter under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

In the July notice, the NHRC directed the Delhi Commissioner of Police to conduct a comprehensive investigation, preserve electronic evidence, including advertisement records, metadata and financial trails, identify advertisers, perpetrators and any child victims, and examine whether Meta complied with mandatory reporting obligations under Sections 19 and 20 of the POCSO Act.

The Commission also noted potential liability under Section 23(3) of the Act.

Citing the Supreme Court's ruling in "Just Rights for Children Alliance & Another Vs S Harish & Others", it reiterated that intermediaries must report suspected POCSO offences to both NCMEC and the Special Juvenile Police Unit or local police.

On July 29, the NHRC issued a reminder to Delhi Police after the Action Taken Report was not submitted within the stipulated 15 days, warning that failure to comply within seven days could lead to invocation of its coercive powers under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Commission has emphasised in both proceedings that every instance of creation or continued circulation of CSAM constitutes a continuing violation of a child's dignity, privacy and human rights, requiring urgent action for victim rescue, rehabilitation and prosecution of those responsible.

Meanwhile, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has decided to institute a formal inquiry into allegations concerning "Child Sexual Exploitative and Abuse" material on Meta's platforms, government sources confirmed on Tuesday.

The decision follows Meta's response to a notice the Commission had issued on July 3 after taking suo motu cognisance of a BBC Eye media report.

The report had flagged paid advertisements on Instagram that allegedly promoted or facilitated access to such material.

NCPCR had sought a detailed explanation from Meta Platforms Inc.

The company submitted its reply within a week of receiving the notice.

After examining the response, the Commission has now resolved to conduct a full inquiry to establish the facts of the case.

Sources indicated that the inquiry will examine whether the platform complied with applicable child protection and intermediary obligations in relation to the alleged content.

Source: https://www.jagran.com/uttar-pradesh/rampur-rampur-milk-police-daroga-viral-audio-dalit-youth-casteist-abuse-threat-40329708.html

मिलक के विवादित दरोगा का तांडव: दलित युवक को दीं जातिसूचक गालियां, ऑडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
By Anil Kumar Awasthi Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Tue, 04 Aug 2026 10:42 PM (GMT+05:30)

एक मिलक दरोगा पर दलित युवक को जातिसूचक गालियां देने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिसका ऑडियो वायरल हो गया है। पीड़ित ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।

संवाद सहयोगी, मिलक (रामपुर)। कानून के रखवालों पर ही कानून तोड़ने का आरोप। वर्दी की शपथ को ताक पर रखकर एक दरोगा ने जिस तरह वर्दी की हनक दिखाई है, उसने पुलिस की छवि को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है। 7 जुलाई को मिलक थाने से लाइन हाजिर हुए एक दारोगा पर एक युवक को फोन पर अभद्र भाषा, जातिसूचक गालियां देने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है।

पीड़ित युवक और दरोगा के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठने लगे है। पीड़ित ने अब इस उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई है।

क्षेत्र के भैसोड़ी निवासी अजय सिंह के अनुसार दो अगस्त को दो हज़ार रुपये के लेनदेन को लेकर हुए एक मामूली विवाद का आपसी समझौते से निस्तारण हो चुका था। लेकिन इसके अगले ही दिन थाना मिलक में तैनात एक दारोगा ने उनके मोबाइल पर कॉल कर तांडव मचा दिया।

आरोप है कि वर्दीधारी ने फोन उठाते ही बिना किसी तहकीकात के गाली-गलौच शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि दरोगा ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अन्य अपशब्दों से उनकी सामाजिक गरिमा को तार-तार किया गया। जब पीड़ित ने अपनी बात रखने की कोशिश की और कहा कि वह बातचीत रिकॉर्ड कर रहा है, तो दरोगा का असली रूप सामने आ गया।

दारोगा ने झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे डाली। यह घटना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। एक तरफ पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा का दावा करती है, दूसरी तरफ वर्दी की आड़ में जातिगत भेदभाव और धमकियां दी जा रही हैं।

पहले से विवादों में रहा है दरोगा
7 जुलाई को लाइन हाजिर किए गए दो दरोगाओं में से एक पहले भी विवादों में रह चुका है। उस पर पहले भी एक ही बीट में तैनात दूसरे दरोगा से विवाद रहता था।

जिस मामले में कोई आर्थिक लाभ नहीं दिखता था उसे दोनों एक-दूसरे के सिर पर टाल देते थे और जहां से कमाई की उम्मीद होती थी वहां दोनों ही पहुंचने के लिए आपस में लड़ते थे। मामले में एसपी सोमेंद्र मीना ने दोनों को लाइन हाजिर कर दिया था।

Prabhat Khabar, Online News, 05/08/2026

Source: https://www.prabhatkhabar.com/national/lakhisarai-train-physical-assault-high-court-orders-railways-to-3-lakh-compensation/amp

लखीसराय ट्रेन दुष्कर्म: हाई कोर्ट ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार, 3 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
Author: Amitabh Kumar|Edited by: अमिताभ कुमार
Updated: Wed, 5 Aug 2026 08:16 AM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई महिला को 3 लाख रुपये मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के आदेश को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता.

दिल्ली हाई कोर्ट ने रेल मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने NHRC के मुआवजे वाले आदेश को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि यात्रियों को सुरक्षित माहौल देना रेलवे की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने माना कि ट्रेन में हुआ सामूहिक दुष्कर्म एक गंभीर और अवांछित घटना है. इसलिए रेलवे पीड़िता को मुआवजा देने से बच नहीं सकता.

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि NHRC का मुआवजा देने का आदेश पूरी तरह सही और कानूनी है. इसमें कोई मनमानी या अवैधता नहीं है. उन्होंने कहा कि आयोग ने मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की शिकार महिला को तुरंत आर्थिक सहायता देने की सिफारिश करके अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया है.

पीड़िता वैध टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रही थी
29 जुलाई के अपने आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पीड़िता वैध टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रही थी. ऐसे में ट्रेन के अंदर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी थी. इसलिए इस मामले में रेलवे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता.

अदालत ने कहा, ''चूंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ट्रेन के एक डिब्बे के भीतर हुई, इसलिए यह रेलवे अधिनियम की धारा 123(ग) के तहत 'अवांछित घटना' की परिभाषा में आएगी और रेलवे अधिनियम की धारा 124ए के तहत रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा.'' अदालत ने कहा, ''याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.''

हाई कोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि मामले के लंबित रहने के दौरान रेलवे की ओर से जमा कराई गई मुआवजा राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित पीड़िता को जारी की जाए. अगस्त 2012 में बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-पांच पर खड़ी एक यात्री ट्रेन के डिब्बे में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था.

पीड़िता के पिता ने की थी शिकायत
पीड़िता के पिता की शिकायत पर NHRC ने अप्रैल 2014 में रेलवे बोर्ड को महिला को 3 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था. रेलवे ने यह कहते हुए फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की कि मुआवजा तय करने का अधिकार केवल रेलवे दावा अधिकरण के पास है. लेकिन NHRC ने यह दलील नहीं मानी और अपने मुआवजे वाले आदेश को बरकरार रखा.

Source: https://www.tv9hindi.com/india/child-protection-panel-launches-inquiry-into-meta-over-alleged-child-abuse-material-ads-3871446.html/amp

Hindi News India Child protection panel launches inquiry into Meta over alleged child abuse material ads

Meta के खिलाफ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जांच शुरू, जानें क्या है पूरा मामला

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इस आरोप की जांच शुरू करने का फैसला किया है कि मेटा प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) से संबंधित विज्ञापन दिखाई दिए.

सोनू शर्मा | Updated on: Aug 04, 2026 11:03 PM IST

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बीते 3 जुलाई को मेटा (Meta) को एक नोटिस जारी किया था. यह नोटिस बीबीसी आई (BBC Eye) की एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी किया गया था, जिसमें बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) से संबंधित कथित विज्ञापनों का ज़िक्र था. आयोग ने इस मामले में Meta से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके जवाब में मेटा ने एक हफ्ते बाद अपना उत्तर सौंपा और अब आयोग ने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच शुरू करने का फैसला किया है.

इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली पुलिस को मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों के माध्यम से भारत में बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने के आरोपों की व्यापक जांच करने और यह जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या तकनीकी कंपनी और अन्य संबंधित संस्थाओं ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन किया है.

आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से मांगी थी रिपोर्ट

आयोग ने 8 जुलाई को एक पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस मामले पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) पेश करने का निर्देश दिया था, जबकि 6 जुलाई को आयोग के सामने शिकायत/सूचना पेश किए जाने के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी. इसके बाद एनएचआरसी ने 29 जुलाई को दिल्ली पुलिस को एक और पत्र लिखकर अपेक्षित रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

भारत आ रही Meta की वैश्विक टीम

आईटी सचिव एस कृष्णन ने मंगलवार को कहा कि केंद्र 5 और 6 अगस्त को भारत में होने वाली अपनी बैठक के दौरान मेटा की वैश्विक टीम के साथ कई चिंताओं को उठाएगा, जिनमें प्लेटफॉर्म द्वारा बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री से निपटने का तरीका, प्रमुख वैरिफाइड अकाउंट्स पर अस्थायी प्रतिबंध और एआई-जनरेटेड सामग्री का प्रसार शामिल है. हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि भारत आने वाली मेटा टीम में कौन-कौन शामिल होंगे, लेकिन इस मामले में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से व्यक्तिगत माफी मांगने की मांग जरूर की गई है.

Amar Ujala, Online News, 05/08/2026

Source: https://www.amarujala.com/delhi-ncr/railways-must-pay-3-lakh-compensation-to-train-gang-rape-victim-high-court-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-149123-2026-08-04

ट्रेन गैंगरेप पीड़िता को तीन लाख मुआवजा दे रेलवे : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureauअमर उजाला ब्यूरो

Updated Tue, 04 Aug 2026 08:38 PM IST

यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की जिम्मेदारी, निजी लोगों के अपराध का हवाला देकर नहीं बच सकता दायित्व

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में भारतीय रेलवे को ट्रेन में गैंगरेप की पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए रेलवे जिम्मेदार है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल की एकल पीठ ने कहा कि रेलवे अधिनियम के तहत यह मामला अवांछित घटना की श्रेणी में आता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैध टिकट वाले यात्रियों को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना रेलवे का कानूनी दायित्व है। अपराध निजी व्यक्तियों ने किया हो, तब भी रेलवे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता।

मामला 27 अगस्त 2012 का है, जब बिहार में एक यात्री ट्रेन के डिब्बे में पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने 2014 में पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को चुनौती देते हुए रेलवे ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

रेलवे ने दलील दी कि अपराध निजी लोगों ने किया, ट्रेन उस समय खड़ी थी और कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि रेलवे अधिनियम की धारा 123(सी) और 124ए के तहत रेलवे पर 'नो-फॉल्ट लायबिलिटी' लागू होती है। इसलिए घटना के लिए प्रत्यक्ष गलती सिद्ध न होने पर भी मुआवजा देना होगा। अदालत ने रेलवे की याचिका खारिज करते हुए जमा राशि ब्याज सहित दो सप्ताह के भीतर पीड़िता को जारी करने का निर्देश दिया।

Source: https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-delhi-hc-railways-cant-evade-responsibility-in-train-gang-rape-40329780.html

ट्रेन में गैंगरेप मामले में दिल्ली HC की सख्त टिप्पणी, रेलवे जिम्मेदारी से नहीं बच सकता; पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

By Vineet Tripathi Edited By: Anup Tiwari

Updated: Tue, 04 Aug 2026 10:59 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने लखीसराय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में रेलवे की जिम्मेदारी तय की है। अदालत ने रेलवे मंत्रालय की याचिका खारिज करते हुए पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का एनएचआरसी का आदेश बरकरार रखा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन पर एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सिफारिश को सही ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे पर अहम टिप्पणी की है।

अदालत ने कहा कि रेलवे यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि अपराध करने वाले रेलवे कर्मचारी के बजाय अन्य लोग थे। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने 30 अप्रैल 2014 व 19 अप्रैल 2016 के एनएचआरसी के निर्णय को चुनौती देने वाली रेल मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि रेलवे अधिनियम की धारा 123(सी) में रेलवे प्लेटफार्म या रेलवे परिसर के अन्य इलाकों में होने वाले हिंसक हमलों को स्पष्ट रूप से अनचाही घटना की परिभाषा में शामिल किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म निश्चित रूप से एक हिंसक हमला है और इसलिए यह कानूनी परिभाषा के दायरे में पूरी तरह से आता है।

घायलों को मुआवजा देना रेलवे की जिम्मेदारी

पीठ ने यह भी कहा कि रेलवे अधिनियम की धारा 124ए के तहत, रेलवे प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना में घायल यात्रियों को मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है, चाहे उसकी तरफ से अपराध, लापरवाही या चूक हुई हो या नहीं।

कोर्ट ने माना कि पीड़िता एक वैध टिकट के साथ यात्रा कर रही थी और ट्रेन के डिब्बे के अंदर सुरक्षित माहौल देना रेलवे की जिम्मेदारी थी। इसलिए, निजी अपराधियों की भूमिका रेलवे को उसकी कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है।

रेल मंत्रालय ने तीन लाख रुपये का मुआवजा देने संबंधी एनएचआरसी के 30 अप्रैल 2014 और 19 अप्रैल 2016 के आदेशों को चुनौती दी गई थी।

खड़ी ट्रेन में युवती से हुआ था दुष्कर्म

याचिका के अनुसार महिला के साथ अगस्त 2012 में बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने रेलवे को ब्याज के साथ मुआवजा की रकम दो सप्ताह के अंदर पीड़िता को देने का आदेश दिया।

रेलवे ने तर्क दिया था कि घटना तब हुई थी जब ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी और स्टेशन पर कानून-व्यवस्था राज्य सरकार के तहत आने वाली जीआरपी की जिम्मेदारी थी। यह भी कहा था कि अपराध निजी लोगों ने किया था, जिन्हें पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।

Lagatar, Online News, 05/08/2026

Source: https://lagatar.in/high-court-to-hear-pil-challenging-nhrc-circular-on-august-20

NHRC के सर्कुलर को चुनौती देने वाली PIL पर 20 अगस्त को HC में सुनवाई
By Rana Pratap Singh Aug 04, 2026 03:34 PM

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 14 मई 2024 के सर्कुलर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करने का आग्रह (मेंशन) स्वीकार कर लिया. सर्कुलर में हिरासत में मौत, गुमशुदगी और दुष्कर्म के मामलों में अनिवार्य न्यायिक जांच की व्यवस्था वापस ले ली गई थी. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 14 मई 2024 के सर्कुलर को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करने का आग्रह (मेंशन) स्वीकार कर लिया. सर्कुलर में हिरासत में मौत, गुमशुदगी और दुष्कर्म के मामलों में अनिवार्य न्यायिक जांच की व्यवस्था वापस ले ली गई थी. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की है.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मो. शादाब अंसारी ने मामले का मेंशन किया था. यह जनहित याचिका धनबाद सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मो. मुमताज अंसारी ने दायर की है.

याचिका में एनएचआरसी के 14 मई 2024 के सर्कुलर को रद्द करने की मांग की गई है. आयोग ने इस सर्कुलर के माध्यम से 4 सितंबर 2020 के अपने पूर्व सर्कुलर को निरस्त कर दिया था, जिसमें पुलिस या न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत, गुमशुदगी अथवा दुष्कर्म के प्रत्येक मामले में न्यायिक जांच अनिवार्य की गई थी. आयोग ने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) लागू होने के बाद पूर्व सर्कुलर अप्रभावी हो गया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि एनएचआरसी ने बीएनएसएस की धारा 194(4) और 196(2) की गलत व्याख्या की है. याचिकाकर्ता के अनुसार धारा 194(4) केवल कार्यपालक दंडाधिकारी (एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) को प्रारंभिक जांच (इनक्वेस्ट) का अधिकार देती है, जिसका उद्देश्य मृत्यु के प्रथमदृष्टया कारणों का पता लगाना है.

वहीं, धारा 196(2) हिरासत में मौत, गुमशुदगी और दुष्कर्म के मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विस्तृत न्यायिक जांच को अनिवार्य बनाती है, जिसे कार्यपालक दंडाधिकारी की जांच का विकल्प नहीं माना जा सकता.

याचिका में हाईकोर्ट से यह भी आग्रह किया गया है कि वह एनएचआरसी को निर्देश दे कि झारखंड हाईकोर्ट के हालिया निर्णय Md. Mumtaz Ansari बनाम State of Jharkhand (2026 SCC OnLine Jhar 617) के आलोक में नए दिशा-निर्देश जारी करे.

उक्त फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बीएनएसएस की धारा 196(2) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराना वैधानिक रूप से अनिवार्य है और कार्यपालक दंडाधिकारी की जांच उसका विकल्प नहीं हो सकती.

याचिका में यह भी कहा गया है कि एनएचआरसी का विवादित सर्कुलर हिरासत में होने वाली मौत, गुमशुदगी और दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच से जुड़े कानूनी सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है और जवाबदेही की व्यवस्था में एक "खतरनाक कानूनी शून्य" उत्पन्न करता है.

Source: https://www.m.khaskhabar.com/news/news-nhrc-takes-a-strict-stance-on-child-related-obscene-content-issues-notices-to-the-ministry-news-hindi-1-834054-KKN.html

बच्चों से जुड़े अश्लील सामग्री के मामले एनएचआरसी सख्त, कई राज्यों के डीजीपी समेत मंत्रालय और मेटा को नोटिस
khaskhabar.com: बुधवार, 05 अगस्त 2026 08:59 AM (IST)

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट उपलब्ध होने के आरोपों का संज्ञान लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कई राज्यों की पुलिस और मेटा इंडिया को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों पक्षों से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट-एटीआर) मांगी है। आयोग ने यह कार्रवाई एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ ऐसे लिंक उपलब्ध हैं जो अश्लील प्रकृति के हैं, बच्चों के लिए अनुपयुक्त हैं और उनमें कथित तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (सीएसएएम) हो सकता है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और पॉक्सो अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य कानूनों के तहत दंडनीय अपराध बन सकता है।
आयोग ने नोटिस जारी कर निम्न पक्षों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट प्रमुख शामिल हैं।
एनएचआरसी ने ओडिशा, हरियाणा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, बिहार के डीजीपी को निर्देश दिया है कि शिकायत के साथ संलग्न यूआरएल और डिजिटल साक्ष्यों की तुरंत साइबर क्राइम यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाई के माध्यम से जांच कराई जाए।
आयोग ने कहा कि यदि जांच में संज्ञेय अपराध के संकेत मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाए और कथित सामग्री के निर्माता, अपलोडर, प्रकाशक, प्रसारक या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
साथ ही यदि किसी बच्चे की पहचान पीड़ित के रूप में होती है तो उसे तत्काल बचाव, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास और अन्य कानूनी सहायता प्रदान की जाए।
आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा है कि कथित आपत्तिजनक यूआरएल को हटाने, ब्लॉक करने या उनकी पहुंच प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
इसके अलावा मंत्रालय से यह भी पूछा गया है कि ऐसी सामग्री दोबारा अपलोड न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है और ऑनलाइन बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन से दीर्घकालिक कदम प्रस्तावित हैं।
मेटा इंडिया को निर्देश दिया गया है कि कथित सामग्री हटाने या उसकी पहुंच रोकने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी दे। साथ ही संबंधित खातों, मेटाडेटा, आईपी लॉग, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग ने मेटा से यह भी पूछा है कि यदि सामग्री में सीएसएएम पाया जाता है तो पॉक्सो कानून के तहत स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को इसकी सूचना देने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई।
आयोग ने कहा कि सभी संबंधित पक्ष अपनी कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं।

Source: https://jantaserishta.com/delhi-ncr/child-protection-commission-to-probe-meta-over-violation-of-sexual-content-rules-4818239

यौन सामग्री नियमों के उल्लंघन पर Meta की जांच करेगी बाल संरक्षण आयोग

Gulabi Jagat4 Aug 2026 9:55 PM

नई दिल्ली: सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने इस मामले की जांच शुरू करने का फ़ैसला किया है। NCPCR ने पिछले महीने BBC Eye की एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान (suo moto cognizance) लेते हुए मेटा को नोटिस भेजा था। यह रिपोर्ट बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (CSEAM) वाले कथित विज्ञापनों के बारे में थी।

सूत्रों ने बताया कि NCPCR ने मेटा से स्पष्टीकरण मांगा था और जवाब में मेटा ने एक हफ़्ते बाद अपना जवाब सौंपा। NCPCR ने 3 जुलाई को मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स इंक. को नोटिस जारी किया था। एक सूत्र ने कहा, "NCPCR ने मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू करने का फ़ैसला किया है।"इससे पहले, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने दिल्ली पुलिस को उन आरोपों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया था जिनमें कहा गया था कि मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के ज़रिए भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) को बढ़ावा दिया गया। साथ ही, यह जांचने को भी कहा था कि क्या टेक कंपनी और अन्य संबंधित संस्थाओं ने 'प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ़्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंसेज़' (POCSO) एक्ट के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन किया है या नहीं।

NHRC ने BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा प्रकाशित उन मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें आरोप लगाया गया था कि इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया और यूज़र्स को ऐसे चैनलों पर भेजा गया जहाँ कथित तौर पर ऐसी सामग्री बिक्री के लिए उपलब्ध थी। कमीशन ने 8 जुलाई को एक पत्र में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस मामले पर व्यापक 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) सौंपने का निर्देश दिया। यह कार्रवाई 6 जुलाई की एक शिकायत/सूचना के कमीशन के समक्ष रखे जाने के बाद शुरू की गई थी। NHRC ने ज़रूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए 29 जुलाई को दिल्ली पुलिस को एक और पत्र लिखा था।

IBC 24, Online News, 05/08/2026

Source: https://www.ibc24.in/country/nhrc-orders-rs-three-lakh-compensation-to-gangrape-victim-upheld-3704884.html

सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का एनएचआरसी का आदेश बरकरार
Bhasha
Modified Date: August 4, 2026 / 09:08 pm IST
Published Date: August 4, 2026 9:08 pm IST

नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 में ट्रेन के भीतर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई एक महिला यात्री को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के निर्देश को बरकरार रखा है।

न्यायमूर्ति अमित बंसल ने रेल मंत्रालय की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एनएचआरसी के फैसले को चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन पर पीड़िता को "सुरक्षित वातावरण" उपलब्ध कराने का दायित्व था।

अदालत ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म "हिंसक हमले" की श्रेणी में आता है और रेलवे अधिनियम के तहत इसे "अवांछित घटना" माना जाएगा, इसलिए रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

न्यायमूर्ति बंसल ने कहा कि मुआवजा देने संबंधी एनएचआरसी का निर्देश न तो मनमाना है और न ही स्पष्ट रूप से अवैध। उन्होंने कहा कि आयोग ने "मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की शिकार पीड़िता को तत्काल आर्थिक राहत देने की सिफारिश कर अपने अधिकार क्षेत्र का उचित इस्तेमाल किया है।"

अदालत ने 29 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा, "तथ्य यह है कि पीड़िता एक वास्तविक यात्री थी, जिसने यात्रा के लिए वैध टिकट खरीदा था और घटना के समय ट्रेन में यात्रा कर रही थी। रेलवे पर ट्रेन के डिब्बे के भीतर सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का दायित्व था।"

अदालत ने कहा, "चूंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ट्रेन के एक डिब्बे के भीतर हुई, इसलिए यह रेलवे अधिनियम की धारा 123(ग) के तहत 'अवांछित घटना' की परिभाषा में आएगी और रेलवे अधिनियम की धारा 124ए के तहत रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।"

उसने कहा, "याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।"

उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि मामले के लंबित रहने के दौरान रेलवे की ओर से जमा कराई गई मुआवजा राशि, उस पर अर्जित ब्याज सहित पीड़िता को जारी की जाए।

अगस्त 2012 में बिहार के लखीसराय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-पांच पर खड़ी एक यात्री ट्रेन के डिब्बे में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था।

पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद एनएचआरसी ने अप्रैल 2014 में कहा था कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पीड़िता को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं।

इसके बाद रेलवे ने आयोग के समक्ष यह कहते हुए पुनर्विचार का अनुरोध किया था कि मुआवजे का निर्धारण केवल रेलवे दावा अधिकरण कर सकता है। हालांकि, एनएचआरसी ने यह अनुरोध खारिज करते हुए मुआवजा देने का निर्देश बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे अधिनियम की धारा 124ए के अनुसार रेलवे "अवांछित घटना" के लिए मुआवजा देने का उत्तरदायी है, भले ही वह घटना रेलवे की किसी गलती, लापरवाही या चूक के कारण न हुई हो।

अदालत ने कहा कि इसलिए यदि सामूहिक दुष्कर्म निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और उनका रेलवे से कोई संबंध न हो, तब भी इससे मुआवजा देने की रेलवे की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती।

उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि भले ही एनएचआरसी के निर्देश "अनुशंसात्मक" प्रकृति के होते हैं, लेकिन उन्हें केवल सामान्य राय मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ वैधानिक संस्था द्वारा की गई जांच के आधार पर जारी एनएचआरसी की सिफारिशों का महत्वपूर्ण प्रभाव और महत्व होता है।

भाषा रवि कांत रवि कांत पारुल
पारुल

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/bachchon-se-judi-ashleel-samagri-ke-mamle-nhrc-sakht-kai-raajyon-ke-dgp-samet-mantralaya-aur-meta-ko-notice-1339500

बच्चों से जुड़े अश्लील सामग्री के मामले एनएचआरसी सख्त, कई राज्यों के डीजीपी समेत मंत्रालय और मेटा को नोटिस

5 Aug 2026 12:19 AM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट उपलब्ध होने के आरोपों का संज्ञान लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कई राज्यों की पुलिस और मेटा इंडिया को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों पक्षों से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट-एटीआर) मांगी है।

नई दिल्ली, 4 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों से जुड़े अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट उपलब्ध होने के आरोपों का संज्ञान लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कई राज्यों की पुलिस और मेटा इंडिया को नोटिस जारी किया है। आयोग ने तीनों पक्षों से एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट-एटीआर) मांगी है।

आयोग ने यह कार्रवाई एक गैर-लाभकारी संस्था द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ ऐसे लिंक उपलब्ध हैं जो अश्लील प्रकृति के हैं, बच्चों के लिए अनुपयुक्त हैं और उनमें कथित तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मैटेरियल (सीएसएएम) हो सकता है।

एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो की पीठ ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और पॉक्सो अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता सहित अन्य कानूनों के तहत दंडनीय अपराध बन सकता है।

आयोग ने नोटिस जारी कर निम्न पक्षों से एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट प्रमुख शामिल हैं।

एनएचआरसी ने ओडिशा, हरियाणा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, बिहार के डीजीपी को निर्देश दिया है कि शिकायत के साथ संलग्न यूआरएल और डिजिटल साक्ष्यों की तुरंत साइबर क्राइम यूनिट और विशेष किशोर पुलिस इकाई के माध्यम से जांच कराई जाए।

आयोग ने कहा कि यदि जांच में संज्ञेय अपराध के संकेत मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाए और कथित सामग्री के निर्माता, अपलोडर, प्रकाशक, प्रसारक या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

साथ ही यदि किसी बच्चे की पहचान पीड़ित के रूप में होती है तो उसे तत्काल बचाव, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुनर्वास और अन्य कानूनी सहायता प्रदान की जाए।

आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा है कि कथित आपत्तिजनक यूआरएल को हटाने, ब्लॉक करने या उनकी पहुंच प्रतिबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा मंत्रालय से यह भी पूछा गया है कि ऐसी सामग्री दोबारा अपलोड न हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है और ऑनलाइन बाल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन से दीर्घकालिक कदम प्रस्तावित हैं।

मेटा इंडिया को निर्देश दिया गया है कि कथित सामग्री हटाने या उसकी पहुंच रोकने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी दे। साथ ही संबंधित खातों, मेटाडेटा, आईपी लॉग, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने मेटा से यह भी पूछा है कि यदि सामग्री में सीएसएएम पाया जाता है तो पॉक्सो कानून के तहत स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को इसकी सूचना देने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई।

आयोग ने कहा कि सभी संबंधित पक्ष अपनी कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं।

Hindustan, Online News, 05/08/2026

Source: https://www.livehindustan.com/ncr/gang-rape-in-train-delhi-high-court-upheld-nhrc-direction-to-railway-for-pay-rs-3-lakh-to-victim-201785856749511.html

ट्रेन में गैंगरेप; HC ने कहा- रेलवे जिम्मेदार, पीड़िता को 3 लाख देने का आदेश
Aug 04, 2026 09:42 pm IST
By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में ट्रेन में गैगरेप की पीड़िता को 3 लाख का मुआवजा देने के एनएचआरसी के निर्देश को सही ठहराया है। अदालत ने रेलवे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यात्रियों को सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के उस निर्देश को सही ठहराया है जिसमें रेलवे को 2012 में ट्रेन के अंदर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई एक यात्री को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। अदातल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के फैसले के खिलाफ रेल मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि रेलवे पीड़िता को सुरक्षित माहौल देने के लिए जिम्मेदार है।

पीड़िता मुआवजा पाने की हकदार
जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने NHRC के फैसले के खिलाफ रेल मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी और कहा कि रेलवे पीड़िता को सुरक्षित माहौल देने के लिए जिम्मेदार है। यह एक हिंसक वारदात की तरह है। इसमें पीड़िता मुआवजा पाने की हकदार है। रेलवे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है।
एनएचआरसी का निर्देश गलत नहीं
अदालत ने यह मानते हुए कि मुआवजा देने का एनएचआरसी का निर्देश गलत या साफतौर पर गैर-कानूनी नहीं था। पीठ ने कहा कि आयोग ने मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के शिकार को तुरंत पैसे की राहत देने की सिफारिश करके अपने अधिकार क्षेत्र का सही इस्तेमाल किया था। पीड़िता रेलवे की एक असल पीड़िता थी जिसने यात्रा के लिए टिकट खरीदा था। वह ट्रेन में सफर कर रही थी। इसी दौरान उसके साथ वारदात हुई।
रेलवे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार
अदालत ने 29 जुलाई को जारी आदेश में कहा कि चूंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ट्रेन के डिब्बे के अंदर हुई थी, इसलिए इसे रेलवे एक्ट की धारा 123 (c) के तहत अनचाही घटना माना जाएगा। रेलवे एक्ट की धारा 124A के तहत रेलवे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि केस चलने के दौरान रेलवे की ओर से जमा की गई मुआवजे की रकम ब्याज के साथ पीड़ित को जारी की जाए।

लखीसराय में हुई थी वारदात
बता दें कि यह घटना पीड़िता के साथ अगस्त 2012 में बिहार के लखीसराय में हुई थी। पीड़िता के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक यात्री ट्रेन की बोगी में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के पिता ने वारदात को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद, NHRC ने अप्रैल 2014 में कहा था कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीड़िता को 3 लाख रुपये देने के लिए जिम्मेदार हैं।

NHRC ने खारिज कर दी थी रेलवे की दलील
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने रेलवे की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि मुआवजा देने के बारे में फैसला तो केवल रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत ने आदेश में कहा कि भले ही घटना रेलवे की किसी चूक की वजह से ना हुई हो फिर भी रेलवे एक्ट की धारा 124A के तहत किसी अनहोनी घटना के लिए मुआवजा देने की जिम्मेदारी रेलवे की है।

Source: https://jantaserishta.com/local/bihar/nhrc-strict-on-allegations-of-csam-content-4818275

CSAM सामग्री के आरोपों पर NHRC सख्त

SHIDDHANT | 4 Aug 2026 11:11 PM

बिहार: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material-CSAM) उपलब्ध होने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और मेटा इंडिया (Meta India) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस मामले में एक सप्ताह के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने का निर्देश दिया है।

3 अगस्त 2026 को जारी नोटिस (केस संख्या 833/90/0/2026) में एनएचआरसी ने कहा कि कुछ इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक पर कथित रूप से बाल यौन शोषण से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध होने की शिकायत मिली है। आयोग ने इस मामले को बच्चों के अधिकारों और मानवाधिकारों से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील विषय मानते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता बताई है। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और मेटा इंडिया से पूछा है कि

शिकायत मिलने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि संबंधित लिंक हटाने, दोषियों की पहचान करने और भविष्य में ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

एनएचआरसी ने अपने नोटिस में कहा कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, तो यह बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मामले को लेकर अब बिहार पुलिस, MeitY और Meta India की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद एनएचआरसी आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा।

Source: https://www.livehindustan.com/ncr/gang-rape-in-train-delhi-high-court-upheld-nhrc-direction-to-railway-for-pay-rs-3-lakh-to-victim-201785856749511.html

ट्रेन में गैंगरेप; HC ने कहा- रेलवे जिम्मेदार, पीड़िता को 3 लाख देने का आदेश

KRISHNA BIHARI SINGH August 4, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में ट्रेन में गैगरेप की पीड़िता को 3 लाख का मुआवजा देने के एनएचआरसी के निर्देश को सही ठहराया है। अदालत ने रेलवे की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यात्रियों को सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2012 में ट्रेन में सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अपना फैसला दिया है।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के उस निर्देश को सही ठहराया है जिसमें रेलवे को 2012 में ट्रेन के अंदर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई एक यात्री को 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। अदातल ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के फैसले के खिलाफ रेल मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि रेलवे पीड़िता को सुरक्षित माहौल देने के लिए जिम्मेदार है।

पीड़िता मुआवजा पाने की हकदार

जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने NHRC के फैसले के खिलाफ रेल मंत्रालय की याचिका खारिज कर दी और कहा कि रेलवे पीड़िता को सुरक्षित माहौल देने के लिए जिम्मेदार है। यह एक हिंसक वारदात की तरह है। इसमें पीड़िता मुआवजा पाने की हकदार है। रेलवे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है।

एनएचआरसी का निर्देश गलत नहीं

अदालत ने यह मानते हुए कि मुआवजा देने का एनएचआरसी का निर्देश गलत या साफतौर पर गैर-कानूनी नहीं था। पीठ ने कहा कि आयोग ने मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के शिकार को तुरंत पैसे की राहत देने की सिफारिश करके अपने अधिकार क्षेत्र का सही इस्तेमाल किया था। पीड़िता रेलवे की एक असल पीड़िता थी जिसने यात्रा के लिए टिकट खरीदा था। वह ट्रेन में सफर कर रही थी। इसी दौरान उसके साथ वारदात हुई।

रेलवे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार

अदालत ने 29 जुलाई को जारी आदेश में कहा कि चूंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना ट्रेन के डिब्बे के अंदर हुई थी, इसलिए इसे रेलवे एक्ट की धारा 123 (c) के तहत अनचाही घटना माना जाएगा। रेलवे एक्ट की धारा 124A के तहत रेलवे मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि केस चलने के दौरान रेलवे की ओर से जमा की गई मुआवजे की रकम ब्याज के साथ पीड़ित को जारी की जाए।

लखीसराय में हुई थी वारदात

बता दें कि यह घटना पीड़िता के साथ अगस्त 2012 में बिहार के लखीसराय में हुई थी। पीड़िता के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक यात्री ट्रेन की बोगी में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के पिता ने वारदात को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद, NHRC ने अप्रैल 2014 में कहा था कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीड़िता को 3 लाख रुपये देने के लिए जिम्मेदार हैं।

NHRC ने खारिज कर दी थी रेलवे की दलील

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने रेलवे की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि मुआवजा देने के बारे में फैसला तो केवल रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ही कर सकता है। बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत ने आदेश में कहा कि भले ही घटना रेलवे की किसी चूक की वजह से ना हुई हो फिर भी रेलवे एक्ट की धारा 124A के तहत किसी अनहोनी घटना के लिए मुआवजा देने की जिम्मेदारी रेलवे की है।